Ph.No:-0612-2230063 (O)
Fax No:-0612-2230064
E-mail:-secy-bcebc-bih@nic.in
Website:-http://bcebcwelfare.bih.nic.in

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–1/योजना छात्रवृत्ति–08/2009– पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना बजट प्रावधान के अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रू0 15626.00 लाख (एक अरब छप्पन करोड़ छब्बीस लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2014, दिनांक–21.08.2015 में निहित प्रावधान के तहत योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के उपलब्धता के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रू० 15626.00 लाख (एक अरब छप्पन करोड़ छब्बीस लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के मांग संख्या 11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101 शिक्षा–3401 छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड संख्या–P2225032770101 राज्य योजना स्कीम कोड–BCW-5461 के अधीन विकलनीय होगा।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। वे राशि को नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी हीं की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय। वे संबंधित व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेजेंगे।

6– प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(पंकज कुमार),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/योजना छात्रवृत्ति–08/2009– 07 पटना, दिनांक–22-1-16

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/1/2016
सरकार के सचिव।